मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभभवन, भोपाल

क्रमांक 1135/1665/2020/18-2/ भोपाल दिनांक 23/05/2020

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य अधिशासी अधिकारी
   छावनी परिषद मध्यप्रदेश

विषय :– 15वें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को जारी अनुदान उपयोग के दिशा निर्देश।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के नगरीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। 15वें वित्त आयोग की जारी अनुशंसाओं के अनुसार प्राथमिक अनुदान (Basic Grant) एवं निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) में वितरण का अनुपात व अनुदानों की पात्रता आदि संलग्न *परिशिष्ट एक* में दर्शित है।

2. मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों/शहरी समुदायों के लिए निर्दिष्ट अनुदानों का वितरण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षित निष्पादन मापदंडों (performance standards) के आधार पर किया जावेगा।

3. राज्य शासन मिलियन प्लस आबादी वाले नगरीय निकायों के अलावा प्राथमिक अनुदान (Basic Grant) एवं निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) राज्य वित्त आयोग की हाल ही में प्रस्तुत संस्तुतियों के आधार पर वितरित करेगी। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्राथमिक एवं निर्दिष्ट अनुदान का अंश तीनों स्तरों में वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर 90 प्रतिशत एवं क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत निर्धारित किया जावेगा। छावनी बोर्डों के लिए आबादी के आधार पर अनुदानों का आवंटन किया जावेगा।

4. 15वें वित्त आयोग से जारी प्राथमिक अनुदान एवं निर्दिष्ट अनुदान की राशि का उपयोग वेतन, भत्ते इत्यादि स्थापना व्यय के लिए किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा।

5. प्रत्येक वर्ष मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तर के निर्धारित बेंचमार्क (सर्विस लेवल बेंचमार्क) के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित की जावे।

23/5

(नीतेश व्यास)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृष्ठां क्र. 1136 / 1665 / 2020 / 18–2 /

भोपाल दिनांक 23 / 05 / 2020

प्रतिलिपि–

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली 110001 ।
2. सचिव, भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली 110001 ।
3. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली 110001
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंद्रहवां वित्त आयोग, 21वें तल, एसटीएस बिल्डिंग, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली 110001 ।
6. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग 110001 ।
7. प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हकदारी – प्रथम, झांसी रोड ग्वालियर 474002 ।
8. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
10. आयक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. ,पालिका भवन, भोपाल ।
11. संचालक, संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. ,पर्यावास भवन, भोपाल।
12. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग, भोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल ।
13. अपर आयुक्त वित्त, नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर ।
14. प्रमुख अभियंता, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र., भोपाल ।
15. समस्त संयुक्त संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल।
16. समस्त सम्भागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास।

वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

परिशिष्ट एक

अ. प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए आवश्यक है कि वे आईएफएमआईएस / पीएफएमएस के एकीकरण के पश्चात उपयुक्त आई टी सूत्रों का प्रयोग कर ऑनलाइन लेखा सृजित करेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इन ऑनलाइन लेखाओं को कॉमन प्लेट फॉर्म में रखा जायेगा और इस प्रकार राज्य एवं अखिल भारतीय स्तरों पर लेखापरीक्षा से पहले और उसके बाद समेकित लेखाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

ब. वित्तीय वर्ष 2021–22 से समस्त शहरी स्थानीय निकायों के लिए किसी भी अनुदान की पात्रता के लिए राज्य द्वारा संपदा कर के लिए अधिसूचित न्यूनतम दर (फ्लोर रेट) का पालन करना होगा तथा राजस्व संग्रहण में लगातार सुधार लाना होगा ताकि राजस्व संग्रहण में राज्य की जीएसडीपी की विकास दर के अनुरूप लगातार सुधार हो सके।

स. मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनुदान (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर)

1. परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्तुति किये गये अनुदान में से 50 प्रतिशत सुधार लाने संबंधी उपायों के लिए तथा 50 प्रतिशत निष्पादन आधारित होगा।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर के लिए क्रमश: 88 करोड़, 51 करोड़, 101 करोड़ तथा 59 करोड़ अर्थात कुल राशि रुपये 299 करोड़ की संस्तुति की गई है। पहली किश्त का उपयोग वायु गुणवत्ता मे सुधार लाने से संबंधित उपायों के लिए किया जा सकता है। दूसरी किश्त का वितरण जनवरी 2021में वायु गुणवत्ता में वर्ष–दर–वर्ष सुधार के आधार पर विनिष्ट निष्पादन–आधारित परिणामों को ध्यानमें रखकर किया जाएगा।

3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से अप्रैल 2020 के शुरुआत में बेंचमार्क प्रकाशित कराये जाने का उल्लेख है। मंत्रालय की बेवसाइट से डाटा का उपयोग दूसरी किश्त के निर्धारण में किया जावेगा। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर को लीडल एजेंसी नियुक्त किया जाता है। चारों निकाय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित कर समय सीमा को देखते हुए इस वर्ष का बेंचमार्क तत्काल तथा पुन: जनवरी 2021 में प्रकाशित करवायेंगे। मंत्रालय की बेबसाइट पर वायु गुणवत्ता डाटा समयबद्ध रुप से अपडेट करवायेंगे जिसके आधार पर निर्धारण किया जावेगा। (आयोग की रिपोर्ट का अनुलग्नक 5.3 देखें)

4. इन शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में, शेष विभाज्य निधि को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा। शहरों को इस की पचास प्रतिशत राशि का विभाजन इस प्रकार किया जाएगा ताकि शीर्ष निष्पादकों को (5 प्रतिशत से अधिक सुधार लाने वाले) को राशि का 40 प्रतिशत प्राप्त होगा, दूसरे शीर्ष निष्पादकों (4 से 5 प्रतिशत से सुधार लाने वाले) को 35 प्रतिशत तथा तीसरे शीर्ष (3 से 4 प्रतिशत से सुधार लाने वाले) को राशि 25 प्रतिशत प्राप्त होगा।

5. वन एवं पर्यावरण, मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के परामर्श से 50 प्रतिशत शेष निधियों का वितरण "मिलियन–प्लस कम आबादी वाले शहरों के बीच उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

द. मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) के लिए, जल संरक्षण, जलापूर्ति एवं प्रबंधन तथा प्रभावकारी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने के लिए सर्विस लेवल बेंचमार्क के आधार पर अनुदान–

1. वर्ष 2020–21 में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर के लिए क्रमश: 88 करोड़, 51 करोड़, 101 करोड़ तथा 59 करोड़ अर्थात कुल राशि रुपये 299 करोड़ की संस्तुति की गई है जिसके लिए वर्ष 2020–21 में अनुदान जारी करने के लिए कोई शर्त नहीं है किन्तु उक्त राशि को इन निकायों द्वारा जल प्रबंधन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने तथा स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए ही खर्च किया जावेगा।

2. जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए आधार वर्ष की तुलना में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाये ताकि उत्तरोत्तर वर्ष 2020–21 के पश्चात आगामी वर्षों के दौरान निष्पादन में कमी की भरपाई करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके। इस कार्य हेतु क्षमता निर्माण के लिए तथा सेवा स्तरीय मानदंडो की पूर्ति करने के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित मुददों से निपटने हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी (आयोग की रिपोर्ट का अनुलग्नक 5.6 देखें)।

3. मिलियन प्लस आबादी वाले शहर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया जाता है। सेवा स्तरीय मानदंडो (सर्विस लेबल बेंचमार्क) का प्रकाशन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर समय सीमा में करवायेंगें।

4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य सरकार के परामर्श से 2020–25 के लिए शहरवार और वर्षवार लक्ष्य निर्धारित करेगा और अनुदानों के वितरण की संस्तुति आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ही करेगा ।

इ. "मिलियन प्लस" से कम आबादी वाले शहरों एवं छावनी बोर्डो के लिए अनुदान–

1. "मिलियन प्लस" आबादी वाले शहरों के अलावा अन्य निकायों के लिए 50 प्रतिशत राशि प्राथमिक अनुदान के रुप में प्रदान की जावेगी तथा 50 प्रतिशत राशि निर्दिष्ट अनुदान के रुप में प्रदान की जावेगी।

2. प्राथमिक अनुदान की राशि से कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है–

i. पेयजल
ii. सीवेरेज तथा नाली निर्माण
iii. सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत एवं अन्य अधोसंचनात्मक विकास कार्य
iv. गंदी बस्तियों में अधोसंरचना निर्माण
v. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
vi. ई गवर्नेंस तथा शहरी सुधार
vii. अग्निशमन सेवायें
viii. राज्य तथा केन्द्र शासन की योजनाऐं जिन मे निकाय को अपना अंशदान प्रदान करना है जैसे अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास तथा अन्य योजनाओं जिन में निकाय के अंश की आवश्कता हो।
ix. बकाया विद्युत देयकों के भुगतान में।
x. स्थानीय निधि संपरीक्षा की बकाया शुल्क के भुगतान में।

3. मिलियन प्लस से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में निर्दिष्ट अनुदान की राशि से कराये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है:-

i. स्वच्छता और खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) स्थिति को कायम रखने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए

ii. पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुर्नचक्रण के लिए इन निर्दिष्ट अनुदानों को यथा संभव उपरोक्त दो महत्वपूर्ण सेवाओं, प्रत्येक के लिए आधा-आधा निर्धारित करेंगे तथापि, यदि कोई स्थानीय निकाय किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है, तत्पश्चात इन निधियों का अन्य श्रेणी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

4. मिलियन आबादी वाले शहरों के अलावा परफॉरमेंश ग्रांट की पात्रता का दावा प्रस्तुत करने के लिए निम्न शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है-

I. जिस वर्ष में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

II. पूर्ववर्ती वर्ष में अपने राजस्व में बढोत्तरी दिखाई जाना चाहिए जैसा कि आडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया हो (क्षतिपूर्ति अनुदान को शामिल न करते हुए)।

III. संपदा कर/प्रोपर्टी टैक्स के निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जाना आवश्यक है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली न्यूनतम दर (फ्लोर रेट) को पूरा करना होगा।

IV. प्रत्येक वर्ष मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तर के बेंचमार्को (सर्विस लेवल बेंचमार्क) का प्रकाशन किया जाए और उसे सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है।